न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ,चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः टी.ए. 19/2019

पंजीयन दिनांकः 31.07.2019

मूलसिंह पिता गंगासिंह जाति राजपूत निवासी लेडी तहसील लाडनू जिला नागौर हाल मुकाम लुहारिया तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गगढ़ जरिये मुख्तयार आम जगमालसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी दुगार तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. सरकार जरिये तहसीलदार बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ प्रकरण संख्या 05/2011 रेवेन्यू प्रार्थना पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 12.10.2011

उपस्थित वक्त बहसः 1. छोगालाल जाट – अधिवक्ता अपीलान्ट
2. पूरणमल स्वर्णकार–रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2

निर्णय **दिनांक 29.06.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलान्ट प्रार्थी ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा लुहारिया तहसील बेगूँ की आराजी नम्बर 112 रकबा 8 बीघा भूमि के सम्बन्ध मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजीयात अपीलान्ट प्रार्थी को आंवटित की जाकर कब्जा सुपुर्द किया गया तभी से अपीलान्ट प्रार्थी उक्त आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग करता चला है। परन्तु उक्त आराजीयात अपीलान्ट प्रार्थी के गैर खातेदारी मे दर्ज नही होकर बिलानाम चली आ रही थी जिसको वर्ष 2004 मे चारागाह हेतु आरक्षित कर दी गई। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने जरिये पत्र आदेशित भी किया कि अपीलान्ट प्रार्थी का कोई प्रिमियम बकाया हो तो उसे वसूल की जाकर उक्त आराजीयात को अपीलान्ट प्रार्थी के नाम दर्ज की जावे। उसके पश्चात् भी उक्त आराजीयात अपीलान्ट प्रार्थी के नाम दर्ज नही की गई जिससे प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया जो राजस्व मण्डल

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजस्थान अजमेर मे जैरकार है जिससे अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य था। फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया गया।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 12.10.2011 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रार्थी ने इस न्यायालय मे म्याद बाहर अपील व प्रार्थना पत्र धारा 5 मय शपथ पत्र के साथ अपील प्रस्तुत की गई जो इस न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण रेस्पोडेन्टगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। सम्मन नोटिस की पालना मे जरिये राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई। अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का बिना विश्लेषण किये बिना किसी आधार पर निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है। जबकि विवादित आराजीयात अपीलान्ट प्रार्थी की आंवटनशुदा होकर कब्जे काश्त मे चली आ रही है। फिर भी उक्त आराजीयात को अपीलान्ट प्रार्थी की गैर खातेदारी दर्ज नही किये जाने से अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से वादपत्र व वादपत्र के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के द्वारा प्रथम दृष्टया नही होना व सुविधा संतुलन भी अपीलान्ट के पक्ष मे नही होना व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के पक्ष मे होना मानते हुए निरस्त किया गया है। जबकि उक्त तीनो ही बिन्दू अपीलान्ट प्रार्थी के पक्ष मे थे जिससे अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य होकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि विवादित कृषि आराजीयात अपीलान्ट प्रार्थी ने गलत तथ्य अंकित कर आंवटित करवाई है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे मुख्तार नामा जो प्रस्तुत किया गया है वह भी स्वीकार योग्य नही है। उक्त आराजीयात सन् 2004 मे बिलानाम होने से चारागाह मे आरक्षित हो चुकी है। चारागाह भूमि के सम्बन्ध मे किसी भी व्यक्ति को घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नही है। जिससे अधीनस्थ विद्धवान

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

विचारण न्यायालय मे जो निर्णय व आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत आदेश है। अपीलान्ट की अपील खारीज योग्य है।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से विधिपूर्ण अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे पत्रावली मे अपीलान्ट प्रार्थी ने जरिये मुख्तार आंवटन शुदा आराजीयात के सम्बन्ध मे वादपत्र विचाराधीन होना बताते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र का पैरोकार सरकार की ओर से दिनांक 16.05.2011 को जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित सभी तथ्यो को अस्वीकार किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने विवादित कृषि आराजीयात चारागाह भूमि होने से प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है। चारागाह भूमि के सम्बन्ध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत किसी भी पक्षकार को घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नही है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से विवादित कृषि आराजीयात की जमाबन्दी भी प्रस्तुत नही की गई है। जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 21.04.2004 से मौजा लुहारिया तहसील बेगूँ की आराजी नम्बर 112 मीन रकबा 1.83 हैक्टेयर भूमि बिलानाम होने से चारागाह हेतु आरक्षित की गई है। जिससे विवादित कृषि आराजीयात दिनांक 21.04.2004 से चारागाह भूमि दर्ज रेकार्ड है। चारागाह भूमि के सम्बन्ध मे वादपत्र चलने योग्य नही था जिससे अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया नही था। विवादित कृषि आराजीयात पर अपीलान्ट प्रार्थी का कब्जा होना भी प्रमाणित नही हुआ है जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने मे किसी प्रकार की अवैधानिता या अनियमितता नही होना पाया जाता है। अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होकर निरस्त योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट प्रार्थी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ प्रकरण संख्या 05/2011 निर्णय व आदेश दिनांक 12.10.2011 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली लोटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)